

श्री पंकज कुमार मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/3/492 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि - 1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मनुषमारा जल निर्माण योजना के तहत वर्ष-2013 में स्पील चैनल (नहर) का नव निर्माण बसौल-बेलसंड से घरहरवा औराई प्रखंड के लखनदेई नदी तक किसानों के निजी जमीन पर नहर का कार्य किया गया; 2. क्या यह बात सही है कि किसानों के भूमि का गजट हो चुका है लेकिन किसानों को जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनुषमारा जल निर्माण योजना अंतर्गत अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा कबतक किसानों के बीच वितरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड एवं रून्नीसैदपुर प्रखंड में मनुषमारा स्पील चैनल के रिसेक्सनिंग का कार्य कुल 15.54 कि.मी. में कराया गया है, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-3803 दिनांक-20.11.2017 द्वारा रू० 1425.53 लाख की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निर्गत है। कराये गये कार्य के मूल प्राक्कलन में 61.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु रू० 11.05 करोड़ का प्रावधान था। कार्य के क्रियान्वयन के क्रम में अतिरिक्त 26.07 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं इसके किस्म में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इस योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। कार्य के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निर्गत कर भू-स्वामियों को नियमानुकूल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:- 29/सं0का0-06-12/2026

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र ज्ञापांक-प्रश्न विविध-04/2025-1068/विधान सभा, दिनांक-22.04.2026 के आलोक में नेवा पोर्टल यथा cms.neva.gov.in के माध्यम से विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने निमित्त आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0-18/3/492 के आलोक में उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बलिराम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 29/सं0का0-06-12/2026

5031

पटना, दिनांक:- 31/8/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।